

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या... 64 / 2022 तारीख दायर... 16.8.22 दिनांक निर्णय... 8.9.22

उनयान

रिपोर्ट पटवारी हरम फिरोजपुर बनाम सुशीला जोर दयाशम कोठ
श्रीमती निवासी कावड़ी


आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप/अनु. जवाब पेश किया नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206.2.079 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल सुशीला जोर दयाशम
जाति श्रीमती निवासी कावड़ी को
आराजी स्वसरा नं. 4 रकबा 5.25 किस्म चरागाह वाके ग्राम कावड़ी
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.50 की 500 गुणा में मु.
7500 कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 14 पृष्ठ चा. नं. 75/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)